

कम्प्यूटर परिपत्र सं० 13/14/27 दि० 07-02-2014

पत्रसं०-ज्वा०कमि०(वि०अनु०शा०)मु०-03/स०प०/13-14 /टैक्स-आडिट/ २०११

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक ०६.०२ - 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-44 तथा वैट नियमावली के नियम-43 में नकशों की शुद्धता का परीक्षण एवं आईटीसीआर का सत्यता की जाँच करने के उद्देश्य से टैक्स आडिट का प्राविधान किया गया है। विगत वर्ष टैक्स आडिट हेतु व्यापारियों के चयन के लिये निम्नलिखित मानक निर्धारित करते हुए साफ्टवेयर तैयार कराया गया था तथा यह निर्देश दिये गये थे कि इस माड्यूल के द्वारा व्यापारियों का टैक्स आडिट हेतु चयन किये जाने की यह व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी प्रभावी होगी :-

S.NO.	Parameters
1	Challan amount =0
2	Change in Pattern of Tax invoice Purchases made
3	Change in the Pattern of Purchases made from the unregistered dealer
4	Change in the Range of turnover
5	Frequency of filing revised returns
6	Taxable turnover / Gross turnover (for sale)
7	Taxable turnover / Gross turnover (for purchase)
8	Exempted turnover/ Gross turnover (for purchase)
9	Exempted turnover /Gross turnover (for sale)
10	Concessional Purchase/Total purchase
11	Concessional sale/ Total Sale

2- यह भी स्पष्ट किया गया था कि उपरोक्त मानकों के आधार पर ही साफ्टवेयर द्वारा दिये गये अंक (स्कोर) के आधार पर चयनित व्यापारियों के सम्बन्ध में ज्वा०कमि०(टैक्स आडिट) के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

- सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट [http:// comtax.up.nic.in](http://comtax.up.nic.in) में Departmental services में MIS Report पर उपलब्ध Officer Login For MIS Report पर क्लिक किया जायेगा।
- ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने सम्भाग का चयन Drop down से किया जायेगा।
- अब ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट) द्वारा अपने पासवर्ड से लॉग इन किया जायेगा।
- इसके पश्चात् Menu पर उपलब्ध Tax Audit बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- लॉग इन के पश्चात् सम्भाग से संबंधित खण्ड कार्यालयों की पृथक-पृथक अथवा समेकित रिपोर्ट डाउन लोड की जा सकती है।
- माड्यूल में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि उक्त मानकों के आधार पर स्वतः ही टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(ii) में वांछित व्यापारियों का चयन होकर सूची उपलब्ध हो जायेगी।

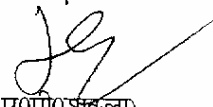
- 3- उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों की प्राप्त सूची में से निम्न श्रेणियों के व्यापारियों को छोड़कर शेष के सम्बन्ध में टैक्स आडिट किये जाने की अग्रिम कार्यवाही पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
1- पेट्रोल पम्प संचालक व्यापारी।
2- हकदारी प्रमाण पत्र धारक व्यापारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जिनका गत वर्ष भी चयन टैक्स आडिट हेतु हुआ है।
3- करमुक्त वस्तु की खरीद करके, करमुक्त वस्तु की बिक्री।
- 4- व्यापारियों के चयन में निम्न बिन्दु का भी विचारण किया जायेगा।
(i) टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-1 में यह उल्लिखित है कि जोन के रु0 05 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर के समस्त व्यापारी, जोन के कारपोरेट सेल के समस्त व्यापारी, टैक्स आडिट के प्रयोजनार्थ कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा संवेदनशील घोषित वस्तुओं के व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0 02 करोड़ से अधिक है, एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले निर्माता इकाईयों से सम्बन्धित व्यापारी के वादों में से टैक्स आडिट हेतु चयन किया जायेगा। अतः संगत वर्ष के लिए टैक्स आडिट हेतु वादों के चयन में सामान्यतया उक्त मौद्रिक सीमा का ध्यान रखा जाय।
(ii) हकदारी प्रमाण-पत्र धारक समस्त व्यापारियों का चयन टैक्स आडिट हेतु किया जायेगा।
- 5- कार्य हित में यह निर्णय लिया जाता है कि उक्त अवधारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम, 5 प्रतिशत वादों का चयन वर्ष 2011-12 तथा 5 प्रतिशत वादों का चयन वर्ष 2012-13 के लिये किया जाए।
- 6- यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार चयनित व्यापारियों को, उनका चयन, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के टैक्स आडिट हेतु, किये जाने विषयक सूचना, दिनांक 20-02-2014 से पूर्व संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों के माध्यम से तामील कराना तथा इस संबंध में अन्य यथा आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।


5-2-2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन प0सं0- व दिनांक :उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 3- ज्वाइन्ट कमिशनर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार व्यापारियों का चयन कर समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश की बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(ए0पी0शुक्ला)

ज्वाइन्ट कमिशनर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।